

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग

पत्रांक — सं0सं0-ह0क0सह0-(विविध/शीप एण्ड ऊल विभर्स यूनियन)-02/2015

पटना, दिनांक—

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हक0)  
बिहार, पटना।

**विषय :- स्वीकृत्यादेश संख्या 1074 दिनांक 02.03.2016 में प्रथम संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 1074 दिनांक 02.03.16 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के दो शीर्ष संघ यथा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि0, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को-ऑपरेटिव युनियन लि0, राजवंशीनगर, पटना को उत्पादन कार्य एवं बुनकरों को राजेगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक संघ को एक-एक करोड़ रुपये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रुपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति दी गयी है। स्वीकृत्यादेश की कंडिका 7 में संशोधन करते हुए कहना है कि वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना दो करोड़ रुपये की एक मुश्त निकासी BIC- 46 पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या- PLA 277 में जमा करने की स्वीकृति दी जाती है।

2. इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. स्वीकृति की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेगी।

4. निकासी के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, उद्योग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(विविध/शीप एण्ड ऊल विभर्स यूनियन)-02/2015

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(विविध/शीप एण्ड ऊल विभर्स यूनियन)-02/2015

प्रतिलिपि— वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।  
पटना, दिनांक— 04-03-16

ज्ञापांक— ह0क0सह0-(विविध/शीप एण्ड ऊल विभर्स यूनियन)-02/2015 1173

प्रतिलिपि— वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/बजट पदाधिकारी, प्रशाखा-1(स0), उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट श्रृंखला, उद्योग विभाग को पाँच प्रति मे/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन पटना तथा आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।